



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08082026-275308  
CG-DL-E-08082026-275308

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4228]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 7, 2026/श्रावण 16, 1948

No. 4228]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 7, 2026/SHRAVAN 16, 1948

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 2026

**का.आ. 4406(अ).—** केंद्रीय सरकार, तटीय पोत परिवहन अधिनियम, 2025 (2025 का 20) की धारा 26 की उप-धारा (1) और धारा 30 की उप-धारा (5) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, कोच्चि और कांडला में संबंधित समुद्री वाणिज्य विभागों के प्रधान अधिकारी को उक्त अधिनियम के उपबंध के अधीन अपराधों और शास्तियों के शमन के लिए सक्षम अधिकारी के रूप में अभिहित करती है।

[फा. सं. एसआर-20020/2/2020-एमएल-भाग(1)(ii)]

वेंकटसपति एस., संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS****NOTIFICATION**

New Delhi, the 7th August, 2026

**S.O. 4406(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 26 and sub-section (5) of section 30 of the Coastal Shipping Act, 2025 (20 of 2025), the Central Government hereby designates the principal officer of the respective Mercantile Marine Departments at Mumbai, Kolkata, Chennai, Kochi and Kandla, as the officer competent to compound offences and penalties under the provision of the said Act.

[F. No. SR-20020/2/2020-ML-Part(1)(ii)]

VENKATESAPATHY S., Jt. Secy.